[2008] 6 एस.सी.आर. 331

बिहार राज्य (अब झारखंड) तथा अन्य

बनाम

बोकारो एंड रामगढ़ लिमिटेड तथा अन्य

(2002 का दीवानी अपील संख्या 1139)

09 अप्रैल 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत, पी. सदाशिवम तथा आफ़ताब आलम, न्यायमूर्तिगण]

अपील – उच्च न्यायालय द्वारा, विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को निरस्त करने के बावजूद अपील को खारिज करना – अधिकारिता तथा औचित्य – अभिनिर्धारितः उचित नहीं – उच्च न्यायालय के निष्कर्ष तथा उसकी उपसंहार एक-दूसरे से मेल नहीं खाते – अतः अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए था।

विवाद इस बात को लेकर उत्पन्न हुआ कि क्या विवादित परिसर (राजा बंगला) विस्थापन के समय राजा के आवास हेतु प्रयुक्त होता था अथवा रामगढ़ सम्पदा के किराया संग्रह हेतु कार्यालय-सह-कचहरी के रूप में प्रयुक्त होता था।

उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष को निरस्त कर दिया कि वादविवादित परिसर मुख्यतः किराया संग्रह हेतु कार्यालय या कचहरी नहीं था, फिर भी विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर अपील को खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित : उच्च न्यायालय ने यह माना कि विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि वादविवादित परिसर मुख्य रूप से कार्यालय अथवा कचहरी नहीं था, टिकाऊ नहीं है। फलस्वरूप विचारण न्यायालय का निष्कर्ष निरस्त कर दिया गया। यदि ऐसा है, तो केवल एक ही निष्कर्ष निकल सकता था–कि अपील स्वीकार की जानी चाहिए थी। किन्तु आश्चर्यजनक रूप से उच्च न्यायालय ने अपील को बिना खर्च के

खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष तथा उसके उपसंहार में स्पष्ट विरोध है। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वादविवादित परिसर किराया संग्रह हेतु कार्यालय या कचहरी के रूप में प्रयुक्त होता था। ऐसी परिस्थिति में अपील को निराधार बताने का उच्च न्यायालय का निष्कर्ष निरस्त किया जाता है। फलस्वरूप, वादी का वाद निरस्त माना जाएगा। उच्च न्यायालय के अभिनिर्धारित निष्कर्षों के अनुसार अपील स्वीकार की जाती है। [कंडिका 4, 5][333-बी, सी, डी, ई]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : दीवानी अपील संख्या 1139 सन् 2002 की

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 12.10.1999 के निर्णय तथा आदेश (ए.ओ.डी. संख्या 431/1968) से।

अपीलकर्ताओं की ओर से : रतन कुमार चौधरी।

प्रतिवादियों की ओर से : आर.सी. कोहली, अशोक माथुर (अनुपस्थित)।

न्यायालय का निर्णय **डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति** : बिहार राज्य (अब झारखण्ड) तथा उसके अधिकारियों की ओर से अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. प्रतिवादियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. इस अपील में चुनौती पटना उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा प्रथम अपील संख्या 431 सन् 1968 के निर्णय के विरुद्ध है। मूल प्रश्न यह था कि क्या विवादित परिसर (राजा बंगला) का प्रयोग भूमि-अधिग्रहण के समय केवल राजा के आवास के रूप में हो रहा था अथवा यह रामगढ़ सम्पदा के किराया-संग्रह हेतु कार्यालय-सह-कचहरी के रूप में प्रयुक्त हो रहा था। खण्डपीठ ने कंडिका 25 तक दोनों पक्षों के तर्क तथा गवाहों के बयान दर्ज किए। कंडिका 26 में बिहार राज्य (अब झारखण्ड) के गवाहों को विश्वसनीय माना गया। इसके बाद

निर्णय में भ्रम आरम्भ होता है। कंडिका 27 से 29 में कहा गया :

"27. साक्ष्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी यह सिद्ध करने में असफल रहा कि राजा बंगला अधिग्रहण के समय केवल राजा के आवास के रूप में प्रयुक्त होता था तथा ज़मींदारी कचहरी/कार्यालय से असंबद्ध था; जबकि प्रतिवादी यह सिद्ध करने में सफल रहा कि उक्त बंगला किराया-संग्रह से सम्बद्ध कार्यालय-सह-कचहरी के रूप में प्रयुक्त होता था।

28. अतः, मैं परीक्षण न्यायालय के उस निष्कर्ष को निरस्त करता हूँ कि परिसर मुख्यतः किराया-संग्रह हेतु कार्यालय या कचहरी नहीं था।

29. परिणामस्वरूप, अपील असफल होती है तथा बिना व्यय के खारिज की जाती है।"

4. कंडिका 27 और 28 एक साथ पढ़ने पर स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के इस निष्कर्ष को अस्वीकार कर दिया कि परिसर किराया-संग्रह हेतु कार्यालय-कचहरी नहीं था। अतः कंडिका 28 में परीक्षण न्यायालय का निष्कर्ष निरस्त किया गया। यदि ऐसा था, तो केवल एक ही निष्कर्ष निकल सकता था कि अपील स्वीकार होती। परन्तु आश्चर्यजनक रूप से उच्च न्यायालय ने अपील को निरस्त कर दिया।

5. निष्कर्ष तथा उपसंहार आपस में मेल नहीं खाते। कंडिका 27 एवं 28 के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि परिसर का उपयोग किराया-संग्रह हेतु कार्यालय-कचहरी के रूप में होता था। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा अपील को बिना गुण का बताकर खारिज करना गलत है। परिणामस्वरूप वादी का वाद निरस्त माना जाएगा। अपील, उच्च न्यायालय के कंडिका 27 और 28 में दर्ज निष्कर्षों के अनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

बी.बी.बी. अपील स्वीकार की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।